भूमि अन्य को आवंटित नहीं है तो अपीलांट/प्रार्थी आदेश प्रसारण की तिथि से एक माह में बकाया किश्ते मय ब्याज जमा करादें तो अपीलांट का आवंटन बहाल कर दिया जावे।

चूंकि वादगत आराजी चक 20 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 199/10 की तादादी 24.10 बीघा अपीलांट/प्रार्थी को आवंटनशुदा है। अपीलांट/प्रार्थी का एक मात्र किश्त राशि रूपये 13688/– बकाया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व प्रकरण के तथ्यो को दृष्टिगत् रखते हुए न्यायहित में आदेश दिये जाते है कि वादगत् आराजी अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं हो, विवादरहित हो, या अन्य किसी के हित प्रभावित ना होते हो तो नियमानुसार बकाया राशि मय ब्याज उक्त आदेश प्रसारण की तिथि से दो माह के अन्दर–अन्दर जमा कराये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। उक्त आदेश दो माह पश्चात् स्वतः प्रभावहीन समझा जावे।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
अपील प्राधिकारी
बीकानेर
बीकानेर।